दैनिक
अपडेट नाऊ
एक कदम आगे....

RNI No. - MPHIN / 2016 / 68805

इंदौर

बुधवार, 19 अगस्त 2026

माघ, शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा 2080

वर्ष 10 । अंक 360। कुल पृष्ठ 8 । मूल्य : 4 रुपए

www.updatenownews.com facebook.com/updatenownews youtube.com/updatenowUNN instagram.com/updatenownews twitter.com/updatenownews

मैं जब विधायक बना था तब अमित शाह बच्चे थे

मल्लिकार्जुन खड़गे बोले-वह हमें देशभक्ति न सिखाएं

पणजी (एजेंसी)। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को कहा कि जब मैं पहली बार विधायक बना था, तब अमित शाह बच्चे थे और आज हमें देशभक्ति सिखा रहे हैं। उन्होंने यह बात दक्षिण गोवा में एक जनसभा में कही। वहीं, खड़गे ने कहा, 'बीजेपी धर्म विरोधी हैं, क्योंकि जब मैंने 8 अगस्त को उत्तराखंड में हल्द्वानी के रामलीला मैदान पर सभा की थी तो 2 दिन बाद मंच का शुद्धिकरण किया गया। ऐसा लगा जैसे मुझे अछूत माना गया हो। क्या लोकतंत्र ऐसे चलता है।

खड़गे ने कहा-गद्दारों को वोट मत दीजिए

खड़गे ने कहा, गोवा के 12 मंत्रियों में से 10 पूर्व कांग्रेस नेता हैं, जो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। गद्दारों को वोट मत दीजिए। अगर आप उन्हें वोट देंगे, तो आप भी गद्दार बन जाएंगे। उन्होंने कहा, बड़े शहरों के अमीर लोग गोवा में जमीन खरीद रहे हैं।

बिहार जिताने वाले तावड़े को यूपी का मिला प्रभार

बीजेपी ने दी बड़ी जिम्मेदारी, जगदीश पटेल सह प्रभारी होंगे

नई दिल्ली (एजेंसी)। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए राज्य प्रभारी और सह-प्रभारी नियुक्त किए। बिहार

सतीश पूनिया को पंजाब, तरुण चुग को गुजरात की जिम्मेदारी

चुनाव जिताने वाले विनोद तावड़े को यूपी का प्रभारी बनाया गया है। जगदीश ईश्वरभाई पटेल को सह-प्रभारी नियुक्त किया है। पंजाब की जिम्मेदारी सतीश पूनिया को दी गई है। गुजरात का जिम्मा तरुण चुग को सौंपा गया है। इन तीनों राज्यों में अगले साल चुनाव हैं। भाजपा अध्यक्ष ने एक दिन पहले अपनी नई टीम का ऐलान किया था। इसमें 65 पदाधिकारियों की घोषणा की थी।

तीनों राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव

2027 में उत्तर प्रदेश और गुजरात में बीजेपी के सामने सत्ता बरकरार रखने, जबकि पंजाब में अपना आधार मजबूत करने की चुनौती होगी। ऐसे में इन तीन राज्यों के लिए नए प्रभारियों की नियुक्ति को बीजेपी की शुरुआती चुनावी तैयारियों और संगठन को मजबूत करने की कवायद से जोड़कर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश- 403 विधानसभा सीटों वाले राज्य में अगले साल फरवरी-मार्च में चुनाव होने की संभावना है। यहां फिलहाल बीजेपी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को राज्य में झटका लगा था। समाजवादी पार्टी 37 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, जबकि बीजेपी 33 सीटों पर रह गई थी। ऐसे में 2027 का चुनाव बीजेपी के लिए राज्य में सत्ता बरकरार रखने के साथ 2024 के लोकसभा प्रदर्शन के बाद अपनी पकड़ मजबूत करने की बड़ी परीक्षा माना जा रहा है।

पंजाब-117 विधानसभा सीटों वाले पंजाब में अगले साल फरवरी में चुनाव होने हैं। राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार है और भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में एएपी ने 92 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया था। 2027 में बीजेपी भी सभी 117 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ऐसे में पंजाब में मुकाबला बीजेपी के लिए संगठन विस्तार और सत्ता में मौजूद एएपी के सामने अपनी स्थिति मजबूत करने की चुनौती वाला होगा।

गुजरात-182 विधानसभा सीटों वाले गुजरात में दिसंबर 2027 तक चुनाव होने की संभावना है। यहां बीजेपी की सरकार है। भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री हैं। 2022 के चुनाव में बीजेपी ने 156 सीटें जीतकर रिकॉर्ड बहुमत हासिल किया था। पार्टी के लिए 2027 में इस प्रदर्शन को दोहराना बड़ी चुनौती होगी।

संक्षिप्त समाचार

जेल से जल्द अस्पताल शिफ्ट होंगे इमरान खान

पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज-मुनीर को दिया बड़ा झटका

इस्लामाबाद (एजेंसी)। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल से अस्पताल ले जाया जाए। इस आदेश के बारे में इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने बताया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह आदेश इमरान खान के परिवार और उनकी पार्टी की बार-बार की गई उन मांगों के बाद आया है

जिनमें उनकी सेहत को लेकर चिंता जताते हुए उन्हें अस्पताल में इलाज दिलाने की बात कही गई थी। उनके बेटों ने पिछले साल उनकी बिगड़ती सेहत को लेकर कई बार चिंता जताई थी जबकि उनके वकीलों का कहना था कि जेल में रहने के दौरान उनकी दाईं आंख की रोशनी काफी कम हो गई है। आपको बता दें कि 73 साल के इमरान खान अगस्त 2023 से कई मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद जेल में हैं। उनका कहना है कि 2022 में सत्ता से हटाए जाने के बाद उन पर जो मामले दर्ज किए गए वे राजनीतिक मकसद से प्रेरित थे। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी सेना के प्रमुख असीम मुनीर के लिए बहुत बड़ा झटका है जो इमरान खान के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं।

योगी का ऐलान, पीआरडी जवानों का भत्ता 600 करेंगे

गोरखपुर में कैशलैस योजना शुरू की, 5 लाख तक इलाज फ्री होगा

गोरखपुर (एजेंसी)। सीएम योगी ने मंगलवार को गोरखपुर में पीआरडी (प्रांतीय रक्षक दल) जवानों के लिए 'मुख्यमंत्री पीआरडी परिवार कल्याण योजना' का शुभारंभ किया। इसमें पीआरडी जवान के परिवार का 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज होगा। योगी ने ऐलान किया कि जल्द ही पीआरडी जवानों का भत्ता रोजाना

600 किया जाएगा। इसकी तैयारी की जा चुकी है। अभी पीआरडी जवानों को 500 रुपए मिलते हैं। प्रदेश में 31 पीआरडी जवान रजिस्टर्ड हैं। इसमें 2 हजार से ज्यादा महिलाएं हैं। सीएम ने पीआरडी जवानों के वर्दी भत्ते के 3000 रुपए उनके खातों में ट्रांसफर किए। इससे पहले लखनऊ में बनने वाले पीआरडी भवन का शिलान्यास किया। 1948 में गठित प्रांतीय रक्षक दल के जवान (स्वयंसेवक) पुलिस के काम में मदद करते हैं। योगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में योगी ने कहा-पीआरडी जवानों को सुविधा मिली है तो उन्हें और बेहतर ढंग से काम करना होगा।

अमेरिका में भी हो भारत जैसा 'चुनावी' सिस्टम

ट्रम्प बोले, की भारतीय चुनावी सिस्टम की जमकर तारीफ

वॉशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मंगलवार को भारत की चुनाव व्यवस्था की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहाकि अब अमरीका में भी भारत जैसे चुनावी सिस्टम की जरूरत है। उन्होंने यहां के चुनावों का हवाला देते हुए 'सेव अमेरिका एक्ट' को पास कराने की अपील की है। ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट में लिखा- इस महीने की शुरुआत में, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हमारे प्रशासन से पूछा था कि अमेरिका में वैध फोटो आईडी के बिना चुनाव कैसे हो सकते हैं। ट्रम्प ने आगे कहा- हमें अब सेव अमेरिका एक्ट पास करना होगा। ट्रम्प ने अमेरिकी चुनाव प्रक्रिया को और सख्त बनाने पर जोर दिया। उनका कहना है कि इससे अमेरिकी चुनावों की सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ेगी।

फांसी की जगह दूसरा तरीका अपनाने की अर्जी खारिज

सुप्रीम फैसला, सजा के दूसरे विकल्पों की जांच का रास्ता खुला

नई दिल्ली (एजेंसी)। मौत की सजा सुनाए जाने के बाद किसी कैदी को किस तरीके से मौत दी जाए, इस पर देश में लंबे समय से बहस चल रही है। क्या फांसी ही सबसे सही तरीका है या ऐसा कोई दूसरा तरीका हो सकता है, जिसमें दर्द और तकलीफ कम हो और आखिरी समय में कैदी की गरिमा भी बनी रहे। इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने फांसी को मौत की सजा देने का तरीका खत्म करने की

मांग वाली याचिका खारिज कर दी। हालांकि कोर्ट ने यह साफ किया कि केंद्र सरकार चाहे तो एक्सपर्ट्स की मदद से दूसरे तरीकों की जांच कर सकती है। अगर भविष्य में मजबूत वैज्ञानिक या मेडिकल सबूत सामने आते हैं, तो इस मुद्दे पर फिर संवैधानिक जांच भी हो सकती है।

कम दर्द देने वाले तरीके अपनाए जाएं

वरिष्ठ वकील ऋषि मल्होत्रा ने 2017 में यह याचिका दायर की थी। उन्होंने बताया था कि फांसी की प्रक्रिया में 40 मिनट से ज्यादा लग सकते हैं, जबकि गोली मारने में कुछ मिनट और जहरीले इंजेक्शन में करीब 5 मिनट लगने का दावा किया गया। याचिका में बीएनएस की धारा 354(5) को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई थी। इसी धारा के तहत मौत की सजा पाए दोषी को गर्दन से तब तक लटकाया जाता है, जब तक उसकी मौत न हो जाए। याचिकाकर्ता ने इसे संविधान के अनुच्छेद 21 में मिले जीवन और गरिमा के अधिकार के खिलाफ बताया गया। मल्होत्रा ने यह भी कहा था कि मौत की सजा पाए कैदी को फांसी और जहरीले इंजेक्शन में से कोई एक तरीका चुनने का विकल्प मिलना चाहिए।

भविष्य में संवैधानिक समीक्षा का रास्ता खुला

कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिका खारिज करने का मतलब यह नहीं है कि भविष्य में संवैधानिक समीक्षा का रास्ता बंद हो गया है। अगर ठोस वैज्ञानिक, मेडिकल या अनुभवजन्य सबूत सामने आते हैं, तो इस मुद्दे की दोबारा जांच की जा सकती है। कोर्ट ने कहा- केंद्र सरकार विशेषज्ञों की समिति बनाकर मौजूदा फांसी की व्यवस्था की व्यापक समीक्षा कर सकती है। समिति यह जांच सकती है कि क्या कोई वैकल्पिक तरीका अनावश्यक पीड़ा कम करने और दोषी की गरिमा बनाए रखने में बेहतर है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भारत में मौत की सजा देने का मौजूदा तरीका नहीं बदला है। लेकिन कोर्ट ने यह संभावना खुली रखी है कि नई वैज्ञानिक या मेडिकल जानकारी मिलने पर फांसी के तरीके की दोबारा संवैधानिक समीक्षा हो सकती है।

गैरकानूनी था 'सीजेपी' का संसद मार्च

सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस का हलफनामा कहा-हिस्ट्रीशीटर शामिल हुए, बैरिकेड भी तोड़े

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 20 जुलाई का संसद मार्च गैरकानूनी था। इसकी परमीशन नहीं थी। जंतर-मंतर पर प्रदर्शन में कई हिस्ट्रीशीटर भी आ गए थे। पुलिस ने बताया कि संसद मार्च में प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़े और पुलिस से मारपीट की, जिससे प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं रहा। हालात संभालने के लिए बल प्रयोग किया गया था, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग नहीं किया गया। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सचिन शर्मा ने हलफनामा दाखिल कर ये जानकारी दी। इसे पुलिस ज्यादती की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग वाली याचिकाओं के जवाब के तौर पर पेश किया गया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हाई लेवल कमेटी बनाएगा।

पुलिस का हलफनामा बताई प्रदर्शन की हकीकत

20 जुलाई को जंतर-मंतर के आसपास 30 हजार से ज्यादा प्रदर्शनकारी मौजूद थे। करीब 3 किलोमीटर के इलाके में फैली इस भीड़ को संभालने के लिए लगभग 5 हजार पुलिसकर्मी तैनात थे। झड़प में 240 से ज्यादा पुलिसकर्मी और करीब 200 प्रदर्शनकारी घायल हुए। याचिकाओं में चुनिंदा फोटो, अधूरे वीडियो और अपुष्ट मीडिया रिपोर्ट्स का इस्तेमाल किया गया। इनमें पुलिस की कार्रवाई का पूरा संदर्भ नहीं दिखता। वीडियो में ऐसी लाठी की सिर्फ एक घटना दिखती है। वह लाठी एक प्रदर्शनकारी के हाथ में थी। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़े, पुलिसकर्मियों से मारपीट की और उनका सुरक्षा सामान खींचा। इसके बाद हिंसा रोकने के लिए कानूनी तरीके अपनाए गए। बल प्रयोग जरूरी हो गया था। भीड़ नियंत्रित करने के लिए लाठियां मान्य उपकरण हैं।

सुप्रीम आदेश, हाईलेवल कमेटी करेगी जांच

सुप्रीम कोर्ट ने सीजेपी के नेतृत्व वाले छात्र प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई के आरोपों की जांच के लिए हाईलेवल कमेटी बनाने का फैसला किया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, पूर्व डीजीपी, पूर्व सीबीआई प्रमुख समेत अन्य सदस्य होंगे। कोर्ट बुधवार को कमेटी के गठन का औपचारिक आदेश जारी करेगा। इससे पहले याचिकाकर्ताओं और अन्य पक्षों से सदस्यों के नाम पर सुझाव लिए जाएंगे।

एमपी के भिंड जिले में ट्रक से टकराई पिकअप, 8 की मौत

23 घायल, ग्वालियर से यूपी लौट रहे थे; हाईवे पर गायों को बचाने में हुआ हादसा

भिंड (एजेंसी)। मध्य प्रदेश के भिंड में नेशनल हाईवे-719 पर गोहद इलाके में सोमवार देर रात करीब 1 बजे तेज रफ्तार पिकअप सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। इससे 8 लोगों की मौत हो गई। 23 घायल हैं। इनमें ट्रक ड्राइवर भी शामिल है। घायल नंदलाल बताया कि पिकअप में कुल 29 मजदूर सवार थे। सभी अलग-अलग गांव के थे। ये लोग ग्वालियर से धान की रोपाई का काम पूरा कर घर लौट रहे थे। पहले चार मजदूरों की मौत और 25 के घायल होने की जानकारी आई थी। हादसे के बाद गोहद चौराहा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पांच शव गोहद और तीन शव ग्वालियर में रखे गए हैं। मरने वाले 6 लोगों की पहचान हो गई है, जबकि दो कि पहचान नहीं हो पाई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने मरने वालों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं।

गायों को बचाने के दौरान हुआ हादसा

थाना प्रभारी रामनरेश यादव के मुताबिक पिकअप की रफ्तार 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा होने का अनुमान है। छीमका गांव के पास हाईवे पर कुछ गायें सड़क पर बैठी थीं। अचानक सामने आए मवेशियों को बचाने के प्रयास में ड्राइवर ने पिकअप मोड़ी और सामने से आ रहे ट्रक से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि पिकअप बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। मजदूरों को गंभीर चोटें आईं। पुलिस और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को वाहन से बाहर निकालने में मदद की। थाना प्रभारी रामनरेश यादव ने बताया कि पिकअप में सवार मजदूर ग्वालियर क्षेत्र में धान की रोपाई के लिए आए थे।

मृतकों में एक ही गांव के 4 लोग

मृतकों में थाना मोहम्मदी के गांव बेला तरसिया के रहने वाले उपदेश पुत्र मोहन, अमर सिंह पुत्र वंशीधर, सुखदेव पुत्र कंचन, रजनीश पुत्र कंचनलाल पासी व किशनपुर गांव के गुड्डू पुत्र प्रहलाद पासी, पसगवां के रहने वाले अजीत, हरना निउली के सुभाष पुत्र कमलेश शामिल हैं। हादसे में जान गंवाने वाले किशनपुर गांव के गुड्डू की पत्नी माया देवी का रो रोकर बुरा हाल है। माया देवी ने बताया कि 15 दिन पहले पति मजदूरी करने पास के ठेकेदार के साथ गए थे। 4 दिन पहले ही उनसे आखिरी बार फोन पर बात हुई थी। इस दौरान उन्होंने घर का हालचाल पूछा था और खेतों में खाद डालने की बात भी कही थी। इसके बाद उनसे कोई संपर्क नहीं हो सका। आज ये मनहूस खबर आई है। हम लोग इसी साल बेटी की शादी की तैयारी कर रहे थे। उसके लिए लड़का देखा जा रहा था।

हर छात्र के साथ खड़े हैं बदलकर रहेंगे वसूली तंत्र!

झारखंड के छात्र मुद्दे पर राहुल गांधी का बड़ा बयान

रांची (एजेंसी)। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने झारखंड में छात्र आंदोलन के मुद्दे पर बड़ी बात कही। राहुल गांधी ने कहा कि झारखंड के छात्रों और राज्य सरकार के बीच सहमति बनी, और छात्रों ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त की , यह खबर सुनकर बहुत खुशी हुई। राहुल गांधी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड सरकार ने बातचीत का रास्ता चुना और समाधान निकाला। छात्रों ने संयम रखा और अपनी बात मनवाई। उन्होंने कहा कि यही सही तरीका है। छात्र सवाल पूछें, तो जवाब मिलना चाहिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि वो देश के हर छात्र के साथ खड़े हैं।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी रिपोर्ट में चंपत-मिश्रा का नाम नहीं

बाकी 8 आरोपी पहले ही जेल में, एसआईटी ने फाइनल जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपी

अयोध्या (एजेंसी)। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच के लिए यूपी सरकार की बनाई एसआईटी ने सोमवार रात फाइनल रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक, इसमें ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा का नाम नहीं है। बाकी 8 आरोपी पहले ही जेल में हैं। यूपी के गृह विभाग ने रिपोर्ट राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास को सौंपी है। इसे राम मंदिर ट्रस्ट की 2 सितंबर को होने वाली बैठक में रखा जाएगा। ट्रस्ट ने ही उत्तर प्रदेश सरकार से चढ़ावा चोरी की एसआईटी जांच का अनुरोध किया था। यूपी सरकार ने 13 जून को लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की एसआईटी बनाई थी।

23 जून को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, 2 दिन बाद 8 की गिरफ्तारी

चोरी का मामला पहली बार 7 जून को सामने आया। यूपी सरकार की एसआईटी ने 23 जून को एडीशनल चीफ सेक्रेटरी (गृह) संजय प्रसाद को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी। 25 जून को ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई। इसमें रामशंकर यादव समेत 8 को नामजद किया गया। हालांकि, इसमें चंपत राय, डॉ. अनिल मिश्रा समेत बड़े पदाधिकारियों के नाम नहीं थे।